

वरजांगा बनाम तेजा
 किस्म मुकदमा प्रकरण संख्या 22 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जज हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>वै अवलोकन के आधार पर मामला पार्टी के पक्ष में प्रथम दृष्टया बमना प्रया गया अतः मूल वाद को विस्तारण एवं अपापीगण को अपायपी मिलीद्वारा से इस कदम का बंद किया जाता है कि मौखिक नया प्रकरण में अपित पार्टीगण की खारेफदी आशपी श.नं. 1136 की दक्षिण माह व श.नं. 1137, 1138 की दक्षिणी-पूर्वी माह में तोड़-फोड़ जारी करे तथा न ही माह पर खड़े बंधों को नष्ट कर माह को सम्पन्न या मुर्द-मुर्द करे।</p> <p>उमल के तल हेतु (नवसे उरु हो व मूल वाद के साथ जल्पी हो)</p>	

